न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

प्रकरण संख्या :— 174 / 2024 जी.सी.एम.एस. संख्या :— 2024 / 123

1. उत्तम कुमार पुत्र रामकिशोर
2. प्रभाती देवी पत्नी रामकिशोर
3. ममता पुत्री रामकिशोर
4. लोकेश पुत्र रामकिशोर

समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:प्रार्थीगण:—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कैलाशचन्द पुत्र सूज्या उर्फ सूरजमल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बस्सी पुराने पोस्ट ऑफिस के पास तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. रेवड़मल पुत्र सुज्या उर्फ सूरजमल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बस्सी आत्माराम कॉलेज के पास तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. रामस्वरूप पुत्र लादू
5. सत्यनारायण पुत्र लादू

जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बस्सी रातीमाता मन्दिर के पास नादोलाई ओजटों की ढाणी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

6. राजूलाल पुत्र जगदीश
7. लल्लू पुत्र जगदीश

जाति ब्राहमण निवासी बस्सी बस स्टेण्ड के पास नीलम टॉवर के पास; बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर

8. मूलचन्द पुत्र नन्दराम
9. लादूराम पुत्र नन्दराम
10. छाजूराम पुत्र नन्दराम
11. रामकल्याण पुत्र जगदीश

समस्त जाति माली निवासी ढोला की बाडया बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—:अप्रार्थीगण:—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 28 / 08 / 2025

उपस्थित:—श्री सुधीर शर्मा, एड0—प्रार्थीगण।

—:निर्णय:—

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2328 / 4 रकबा 0.1700 है0 वाके ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 18.05.2024 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2328 / 4 रकबा 0.1700 है0 वाके ग्राम बस्सी पटवार हल्का बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 18.05.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण / रजि0 डाक एडी तलब किया गया। बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीया संख्या 2 ता 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बस्सी पत्रांक भू.अ. / 2024 / 5001 दिनांक 09.10.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल मिशल है।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 18.05.2024 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2076 से

Garima 28/08/25
उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला—जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Scanned with OKEN Scanner